PSIT

Kanpur

RAGGING IS AN OFFENCE.

रैगिंग एक अपराध है।

Anti-Ragging Guidelines

रैगिंग निषेध दिशानिर्देका

NO RAGGING

Pranveer Singh Institute of Technology (Pharmacy),

College Code:1210

Approved by PCI, UGC 2(f) and Affilated to

Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow

National Highway (NH-19), Kanpur, Bhautipratappur, Uttar Pradesh

+91 7670998888, +91 8004232666 | directorpharma@psit.ac.in | adminpharma@psit.ac.in

psitpharmacy.ac.in

Dear Parents/Guardians,

You are well aware that ragging is an act of human torture and a curse for civilized society. In order to put a check on this social evil in educational/professional colleges, the Hon'ble Supreme Court has taken strict measures through various judicial pronouncements and directions. The notifications issued from time to time by the government agencies such as (i) AICTE/UGC, (ii) State Govt. Act, Uttar Pradesh Prohibition of Ragging in Educational Institutions Act.2010, (iii) Govt. of UP and that of affiliating universities are many of the initiatives taken to PROHIBIT RAGGING in educational institutions. It has been clearly declared a cognizable offence. In order to make the parents/guardians and their wards aware of the Anti-Ragging Provisions and consequences thereof, **a booklet containing Anti–Ragging Guidelines is being made available to each student.**

You are, therefore, advised to read and understand the provisions contained in the guidelines carefully and give sound counsel to your ward not to indulge in any such activity of ragging. In this respect, it has been made mandatory for the students who are taking admission/studying in this institute and their parents/guardians to submit the Anti-Ragging Affidavits, the formats of which are also attached at the end of the booklet (separately for you and for your ward). **Each affidavit in the prescribed format to be filled up, signed, and duly notarized is to be submitted to the institute at the time of registration, failing which your ward will not be able to get himself/herself registered in the institute for the current session.**

प्रिय अभिभावकगण/संरक्षणगण

आप इस तथ्य से अवगत हैं कि रैगिंग किसी मनुष्य को यातना, यंत्रणा, दुःख, संताप, कष्ट, वेदना, क्षोभ कारित करने का अपकृत्य/दुष्कृत्य हैं । शैक्षणिक संस्थानों में यह व्यापक रूप से दुष्प्रचलित है । वर्तमान परिदृश्य में, सभ्य समाज में रैगिंग एक अभिशाप हैं । शैक्षणिक व व्यवसायिक कालेजों में इस सामाजिक अभिशाप की रोकथाम के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने समय समय पर विभिन्न न्यायिक घोषणाओं व निर्देशों अधिसूचनाओ के माध्यम से तथा विभिन्न सरकारी संस्थाओं/ एजेंसीओं जैसे (१) ए.आई.सी.टी.ई (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद)/ यू. जी.सी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) (२) उत्तर प्रदेश शैक्षणिक में रैगिंग प्रतिषेध अधिनियम २०१० (३) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तथा सम्बद्व विश्वविद्यालय शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग को निषेध करतें हैं। इसे संज्ञेय अपराध घोषित किया गया हैं । रैगिंग विरोधी दिशा निर्देशों से युक्त एक पुस्तिका प्रत्येक विद्यार्थी को इस आशय से उपलब्ध करायी जा रही हैं कि छात्र/छात्रा के माता पिता , अभिभावक/संरक्षक को तथा उनकी संरक्षकता में मौजूद छात्र/छात्रा को रैगिंग विरोधी प्रावधानों से तथा उनके परिणामों से अवगत कराया जा सके । जिसमें यह भी स्पष्ट किया गया हैं कि यदि उनकी संरक्षकता में जो छात्र/छात्राहैं यदि वह रैगिंग करने का दोषी पाया जाता हैं या रैगिंग को दुष्प्रेरित करने, अवप्रेरित करने ,रैगिंग को बढावा देने ,सहायता करने ,सहयोग करने में सम्मिलित होता हैं तो वह दण्ड के अधीन होगा ।

अतः **आपको यह परामर्श दिया जाता हैं कि दिशा निर्देशों में निहित प्रावधानों को भली भाँति पढ लें तथा समझ लें एवं अपनी संरक्षकता में विद्यमान छात्र/ छात्रा को भी सम्यक परामर्श दें** कि वह रैगिंग करने से सम्बंधित किसी भी प्रकार की गतिविधि ,क्रियाकलाप में कतई लिप्त/ सम्मिलित न हों । इस सन्दर्भ में, यह अनिवार्य बनाया गया है कि वे सभी विद्यार्थीगण जो इस संस्थान में प्रवेश ले रहें हैं या वे सभी विद्यार्थीगण जो इस संस्थान में अध्ययनरत् हैं एवं उन विद्यार्थिगणों के मातापिता /अभिभावक /संरक्षक वे अपने रैगिंग विरोधी शपथपत्र संस्थान में जमा करें । शपथपत्र का प्रारूप, पुस्तिका के अन्त में संलग्न हैं । छात्र/छात्रा का तथा उसके माता पिता /सरंक्षक /अभिभावक का शपथपत्र, प्रारूप के अनुरूप पृथक पृथक होगा । **प्रत्येक शपथपत्र निर्धारित प्रारूप में भली भाँति भरकर, हस्ताक्षर करके एवं नोटरीकृत कराकर संस्थान में जमा करना हैं तथा ऐसा न करने पर आपकी संरक्षकता में विद्यमान छात्र/छात्रा का पंजीकरण वर्तमानसत्र हेतु संस्थान में नही किया जायेगा ।**

निदेशक

रैगिंग संज्ञेय अपराध है

What is Ragging?

"Ragging" means asking a student to do any act or perform something, causing, inducing, compelling or forcing a student by way of either by words or sign or signal to do any act which detracts from human dignity or violates his person in any way or exposes him to ridicule, intimidating, wrongfully restraining, wrongfully confining and injuring him or holding out to him any threat or intimidation, wrongful restraint, wrongful confinement, injury or the use of criminal force.

''रैगिंग'' का तात्पर्य किसी विद्यार्थी से कोई ऐसा कार्य करने या ऐसे कृत्य का सम्पादन करने, के लिए कहे जाने, शब्दों, इशारों या संकेत द्वारा किसी ऐसे कार्य को कराने, प्रलोभन देना, विवश करने, दबाव डालने से है जिससे किसी भी प्रकार से मानव गरिमा का ह्रास होता हो या उसका व्यक्तित्व दूषित होता हो या जिससे वह उपहास, अभित्रास, अन्यायपूर्ण नियंत्रण, अन्यायपूर्ण परिरोध से पीड़ित होता हो और उसे क्षति पहुँचाने या उसे किसी प्रकार की धमकी या अभित्रास देने, अन्यायपूर्ण नियंत्रण, अन्यायपूर्ण परिरोध करने या क्षति पहुँचाने या उस पर अपराधिक बल प्रयोग करने से है।

(As Defined in Uttar Pradesh
Prohibition of Ragging in Educational
Institutions Act 2010)

RAGGING AND PUNISHMENTS THEREOF

Actions to be taken against students for indulging and abetting ragging in Technical Institutions, Universities including Deemed to be University imparting technical education (vide AICTE Notification dated 01-07-2009) & U.G.C. Regulations – 2009

4. a) Depending upon the nature and gravity of the offence as established the possible punishments for those found guilty of ragging at the institution level shall be any one or any combination of the following:-

   (i) Cancellation of admission
   (ii) Suspension from attending classes
   (iii) Withholding/withdrawing scholarship/fellowship and other benefits
   (iv) Debarring from appearing in any test/examination or other evaluation process
   (v) Withholding results
   (vi) Debarring from representing the institution in any regional, national or international meet, tournament, youth festival, etc.
   (vii) Suspension/expulsion from the hostel
   (viii) Rustication from the institution for period ranging from 1 to 4 semesters
   (ix) Expulsion from the institution and consequent debarring from admission to any other institution.
   (x) Collective punishment: when the persons committing or abetting the crime of ragging are not identified, the institution shall resort to collective punishment as a deterrent to ensure community pressure on the potential raggers.

Contd......

THE UTTAR PRADESH PROHIBITION OF RAGGING IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS ACT, 2010

(U.P. ACT No. 14 of 2010)

MAIN POINTS & SECTIONS OF THE ACT

RAGGING AND PUNISHMENTS THEREOF

Section 2 (d) "Ragging"means asking a student to do any act or perform something, causing, inducing, compelling or forcing a student by way of either by words or sign or signal to do any act which detracts from human dignity or violates his person in any way or exposes him to ridicule, intimidating, wrongfully restraining, wrongfully confining and injuring him or holding out to him any threat or intimidation, wrongful restraint, wrongful confinement, injury or the use of criminal force.

Section 3 Ragging within or outside any educational institution is prohibited.

Section 5 Whoever directly or indirectly commits, participates abets or propagates ragging within or outside any educational institutional shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both.

Section 6 Any student convicted of any offence under section 5 shall not be admitted in any educational institution for a period which may extend to five years from the date of order of debarring.

(Please go through the details available on www.psit.ac.in)

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय

पत्रांक: उ0प्र0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2009/26742-27431 दिनांक: 8 सितम्बर 2009

सर्वोच्च प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

स्पीड पोस्ट

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,
उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय से
सम्बद्ध समस्त संस्थाएं ।

विषय प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की समस्या के रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय सुनिश्चित किये जाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 8 मई, 2009 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 उच्चतम न्यायालय के पत्र सं0 370/04/XI-A, दिनांक 12 जून, 2009 जो शासन के पत्र सं0 1835/सोलह-1-2009-1 250/96, दिनांक 3 सितम्बर, 2009 के द्वारा विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है, की प्रति संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है कि संस्था में रैगिंग की समस्या की रोकथाम हेतु विश्वविद्यालय से पूर्व में प्रेषित निर्देशों के क्रम में उल्लिखित दिशा निर्देशों का भी संस्था स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक यथोक्त

भवदीय

(यू0एस0 तोमर)
कुलसचिव

पृष्ठांकन सं0 व दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:

1. प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल/महामहिम कुलाधिपति महोदय, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ ।
2. प्रमुख सचिव, व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, सचिवालय, लखनऊ को शासन के पत्र सं0 1835/सोलह-1-2009-1 250/96, दिनांक 3 सितम्बर, 2009 के संदर्भ में ।
3. स्टाफ आफिसर, मा0 कुलपति महोदय ।

(यू0एस0 तोमर)
कुलसचिव

आई0ई0टी0 परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ, फोन 2732193, फैक्स 2732185

सर्वोच्च प्राथमिकता/महत्वपूर्ण
संख्या: 1835/सोलह-1-2009-1-250/96

प्रेषक,

वृन्दा सरूप,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

(1) प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/कृषि शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन

(2) कुलपति,
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(3) निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन/प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

(4) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

व्यवसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 3 जुलाई, 2009

विषय:-प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की समस्या के रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए जाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 08 मई, 2009 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, मा0 उच्चतम न्यायालय, के पत्र संख्या-370/04/XI-A, दिनांक 12 जून, 2009 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रदेश में स्थापित शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग जैसी अमानवीय कुप्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाए जाने के लिए समय-समय पर विस्तृत दिशा निर्देश प्रत्येक विभाग के स्तर से निर्गत किए जाते रहे है। इस क्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय ने सिविल अपील संख्या-887/2009 यूनिवर्सिटी आफ केरला एवं अन्य बनाम प्रचार्य काउंसिलर, कालेजेस आफ केरला एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 08 मई, 2009 में शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाए जाने के लिए शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग रोकथाम के लिए विभिन्न उपाय किए जाने के निर्देश दिए गए है। उक्त निर्देशों में प्रदेश के समस्त व्यवसायिक परामर्शदाताओं द्वारा नये छात्रों को रैगिंग में संलिप्त न होने के जानकारी दिए जाए हेतु मनोनीत किए जाने, सत्र के प्रथम अथवा द्वितीय सप्ताह में पुराने छात्रों के साथ नये छात्रों का परिचय/मेलमिलाप कराने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाने, प्रत्येक संस्थान में एन्टी रैगिंग समिति एवं एन्टी रैगिंग स्काड गठित किए जाने, जिला स्तर पर एन्टी रैगिंग समिति गठित किए जाने, दोनों स्तरों पर गठित एन्टी रैगिंग समितियों

--2--

को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए त्वरित कार्यवाही कराए जाने, विश्वविद्यालय स्तर पर सभी कालेजों के एन्टी रैगिंग समितियों पर प्रभावी नियंत्रण किए जाने हेतु नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाने, प्रदेश स्तर पर एन्टी रैगिग नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाने तथा रैगिग रोकने के सभी प्रकार के सम्भावित उपाय सुनिश्चित किए जाने के निर्देश देते हुए चार माह में अनुपालन आख्या उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गयी है।

2 इस संबंध में मुझे पुनः यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार तत्परता एवं कडाई से अनुपालन समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराते हुए रैगिग रोकने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित कराते हुए अपेक्षित कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर कराने का कष्ट करें एवं उक्त दिशा-निर्देशों की अनुपालन आख्या ससमय उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(वृन्दा सरूप)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की सेवा में मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(वृन्दा सरूप)
प्रमुख सचिव

319583 R-726/09

REPORTABLE

IN THE SUPREME COURT OF INDIA

CIVIL APPELLATE JURISDICTION

CIVIL APPEAL NO. 887 OF 2009

Certified to be true copy
Assistant Register (J)
...Kurbits 12/6/09
Supreme Court of India

University of Kerala ...Appellant

Versus

Council, Principals' Colleges, Kerala and Ors. ...Respondents

SUPREME COURT OF INDIA

JUDGMENT

Dr. ARIJIT PASAYAT, J.

1. Directions have been given from time to time to see that the ugly scar of ragging is obliterated from the face of educational institutions. Mr. Gopal Subramaniam, learned amicus curiae, Mr. P.P. Rao, Mr. Altaf Ahmed and others appearing in the matters have given suggestions which we have considered. Keeping in mind the recent incidents of ragging which have surfaced, and which have been dealt with by this Court, it becomes necessary that the following recommendations made by the Raghavan Committee be implemented immediately, namely:

(i) Recommendation No. 5.14: "We also recommend that every institution should engage or seek the assistance of professional counselors at the time of admissions to counsel freshers' in order to prepare them for the life ahead, particularly for adjusting to the life in hostels...";

(ii) Recommendation No. 5.16: "We recommend that on the arrival of senior students after the first week or after the second week as the case may be, further orientation programmes must

duled as follows (i) joint sensitization programme and counseling of both 'freshers' and senior by a Professional counselor; (ii) joint orientation programme of 'freshers' and seniors to be addressed by the principal/Head of the institution. and the anti -ragging committee ; (iii) organization on a large scale of cultural, sports and other activities to provide a platform for the 'freshers' and seniors to interact in the presence of faculty members ; (iv) in the hostel, the warden should address all students; may request two junior colleagues from the college faculty to assist the warden by becoming resident tutors

continued...

(c) Dr. Mohan Rao, Professor of Social Sciences, JNU New Delhi; and

(d) Dr. Amit Sen, Child Psychiatrist, Sitaram Bhartia Institute of Science & Research, New Delhi.

20. A separate committee be constituted immediately to examine the problem of alcoholism on the RPGMC campus, and to suggest immediate de-addiction measures. The following eminent mental health experts shall be members of this committee:

(a) Dr. Anju Dhawan, Associate Professor, Psychiatry, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi;

(b) Dr. Sameer Malhotra, Former Assistant Professor of Psychiatry, AIIMS, New Delhi; and

(c) Dr. Prakash Saran, Associate Professor of Psychiatry, AIIMS New Delhi.

21. In each State, Committees in the line indicated above shall be constituted to undertake the exercise detailed above.

22. Compliance reports shall be filed within four months. List after four months.

....sd/-..........................J.
(Dr. ARIJIT PASAYAT)

....sd/-..........................J.
(ASOK KUMAR GANGULY)

New Delhi,
May 08, 2009

(Please go through the details
available on www.psit.ac.in)

गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय

पत्रांकः गौ.बु.प्रा.वि/कुस.का/एके./2011/ 27216-27829 लखनऊ दिनांकः 12 अगस्त, 2011

स्पीड पोस्ट

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,
गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय एवं
महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय से
सम्बद्ध समस्त संस्थाएं ।

विषय- प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की समस्या के रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय सुनिश्चित किया जाना ।

संदर्भ- शासन के पत्र सं0 438/सोलह-1-2011-250/96, दिनांक 21.7.2011 ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0 438/सोलह-1-2011-250/96, दिनांक 21.7.2011 की छायाप्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने की अपेक्षा है कि कृपया रैगिंग की रोकथाम हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 21.7.2011 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय

(यू0एस0 तोमर)
कुलसचिव

पृष्ठांकन सं0 व दिनांक-उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित ।

1. प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल/कुलाधिपति महोदय, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ ।
2. सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ को शासन के पत्र सं0 438/सोलह-1-2011-250/96, दिनांक 21.7.2011 के संदर्भ में ।
3. कुलसचिव, महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर ।
4. अपर परीक्षा नियंत्रक, गौ0बु0 प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डलवाने का कष्ट करें
5. स्टाफ आफिसर, कुलपति कार्यालय, गौ0बु0 प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ ।

(यू0एस0 तोमर)
कुलसचिव

आई0ई0टी0 परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ, फोन 2732193, फैक्स 2732185

सर्वोच्च प्राथमिकता / महत्वपूर्ण
संख्या-438/सोलह-1-2011-250/96

प्रेषक,

संजय प्रसाद,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) कुलपति, गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
(2) कुलपति, महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, नोयडा।
(3) समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
(4)निदेशक/प्राचार्य,राज्य के समस्त इंजीनियरिंग/प्रबन्ध कालेज/संस्थान।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 21 जुलाई, 2011

विषयः-प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की समस्या के रोकथाम हेतु आवश्यव उपाय सुनिश्चित किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन पत्र संख्याः3454/2001-सोलह-1-2001, दि(22-9-2001, प0सं0-1563/सोलह-1-2002, दि0 13-9-2002, प0सं0-2871/ 2002-सोलह-1-250/96, दि0 16-9-2002, प0सं0-2407/2003- सोलह-1-250/ 96 दि0 11-7-2003, प0सं0-2463/2004-सोलह-1-250/96 दि0 20-7-2004 प0सं0-2963/2004-सोलह-1-250/96 दि0 31-8-2004, प0सं0-2634/2005- सोलह-1-250/96 दि0 25-8-2005, प0सं0-1563/ 2006-सोलह-1-250/96 दि(13-7-2006, प0सं0-1602/सोलह-1-2007- 250/96, दि0 29-6-2007, प0सं0- 2297/सोलह-1-2008-250/96, दि0 25-6-2008, प0सं0-2615/सोलह-1-2008- 250/96, दि0 10-7-2008, प0सं0-3146/सोलह-1-2008-250/96, दि0 11-8- 2008, प0सं0-821/सोलह-1-2009-250/96, दि0 26-03-2009, प0सं0-1835/ सोलह-1-2009-250/96, दि0 03-09-2009, प0सं0-3346/सोलह-1-2009- 250/96 दि0 14-10-2009, प0सं0-3347/सोलह-1-2009-250/96, दि 14-10-2009, प0सं0-3852/सोलह-1-2009-250/96टीसी, दि0 04-12-09 प0सं0-4170/सोलह-1-2009-250/96 टीसी, दि0 02-03-2010, प0सं0-3605/ सोलह-1-2009-250/96 दि0 02-03-2010 एवं प0सं0-2336/सोलह-1-2009- 250/96 दि0 27-07-2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा। सर्वोच्च न्यायालय दूवारा पारित आदेशों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भार(सरकार, नई दिल्ली दूवारा निर्गत निर्देशों एवं शासन स्तर से प्रदेश की अभियंत्र(संस्थाओं में रैगिंग जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किये गये है

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की शैक्षणि(संस्थाओं में रैगिंग जैसी कुप्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए प्रदेश व(शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम-2010 प्रख्यापित किया गया है,

--2/--

जिसके प्राविधानों के अनुसार रैगिंग की रोकथाम हेतु विभिन्न प्राविधान निर्गत किए गए है। उक्त प्राविधानों के अनुक्रम में संस्थान स्तर पर रैगिंग की रोकथाम हेतु पूर्ण रूप से प्रभावी उपाय सुनिश्चित किया जाना है, जिससे छात्र/छात्राओं में व्याप्त भय समाप्त हो सके तथा उनके मध्य पठन-पाठन का बेहतर माहौल तैयार हो सके।

3- इस संबंध में अपेक्षा है कि उ0प्र0 की अभियंत्रण संस्थाओं में रैगिंग जैसी कुप्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाये जाने हेतु प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम-2010 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार प्रभावी कार्यवाही कराते हुए निम्नलिखित प्रकार से एक विशेष अभियान चला कर छात्रों को इस विषय में जागरुक भी किया जाय कि रैगिंग एक सामाजिक बुराई है और इसे समाप्त होना चाहिए:-

(1) सत्र के प्रारम्भ से ही रैगिंग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगे होने की सूचना संस्थान में जगह-जगह पर प्रचारित एवं प्रसारित किया जाय तथा रैगिंग में लिप्त पाये जाने पर कठोर दण्ड की व्यवस्था को बैनर/होर्डिंग्स के माध्यम से संस्थान में प्रदर्शित किया जाए।

(2) प्रत्येक छात्र एवं उसके अभिभावक से प्रवेश के समय शपथ-पत्र लिया जाय कि यदि वे संस्थान में रैगिंग में पकड़े गये तो संस्थान से निष्कासित कर दिया जायेगा एवं इसकी जिम्मेदारी स्वयं छात्रों की होगी।

(3) प्रत्येक शिक्षण संस्थान में सत्र के प्रारम्भिक कम से कम दो माह रैगिंग विरोधी दस्ते अनिवार्य रूप से बनाये जायं। इन दस्तों द्वारा प्रतिदिन दिन/रात्रि मे छात्रावासों तथा परिसर में एकान्त स्थलों पर एवं ऐसे स्थानों पर जहाँ रैगिंग की सम्भावना हो, जैसे पुस्तकालय, कैन्टीन आदि का निरीक्षण किया जाय। हास्टल परिसरों में विशेष रूप से रात्रि एवं अवकाश के समय तथा शिक्षण कक्षाओं के समीप दस्तों/सदस्यों द्वारा विशेष रूप से आकस्मिक एवं पुनर्निरीक्षण किया जाय।

(4) संस्था द्वारा निर्धारित कोड से भिन्न यदि छात्र समूह द्वारा कोई अनौपचारिक कोड विशेषकर प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु बनाए जाने की बात प्रकाश में आती है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(5) एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते समय प्रथम वर्ष के छात्रों की विशेष सुरक्षा का ध्यान रखा जाय।

(6) सभी संस्थानों में जहां पर प्रथम वर्ष के छात्र रहते हैं, वहां पर यह सुनिश्चित करें कि जो भी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किये गये हैं वे रात्रि में छात्रावासों के चारों ओर गश्त लगायें। उनको पूरी तरह से हिदायत दे दी जाय।

(7) प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ में नये छात्रों को संस्थान के बारे में अधिकाधिक जानकारी प्रदान कर दी जाय, जिससे कि सीनियर छात्रों द्वारा नये छात्रों की कम जानकारी का अनुचित लाभ न उठाया जा सके।

--3/--

(8) नवीन छात्रों के लिए छात्रावास परिसर, वरिष्ठ छात्रों के छात्रावास परिसर से दूर ही रखा जाय एवं दोनों छात्रावासों के बीच पर्याप्त ऊँचाई की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण सुनिश्चित किया जाय। यदि छात्रावास समुचित संख्या में उपलब्ध नहीं हैं, तो नये छात्रों को ही परिसर छात्रावास में रखने की व्यवस्था की जाय। वरिष्ठ छात्र बाहर रह सकते हैं।

(9) कई बार देखा गया है कि वरिष्ठ छात्र बाहरी तत्वों अथवा कालेज के छात्रावास में अनाधिकृत रूप से निवास कर रहे पूर्व छात्रों अथवा अन्य संस्थानों के छात्रों के संरक्षण में रैगिंग जैसी गम्भीर गतिविधियों में लिप्त होते हैं। अतः संस्था के प्राचार्य/वार्डेन का यह उत्तरदायित्व होगा कि किसी भी दशा में शिक्षण संस्थानों के छात्रावासों में वर्तमान में उसी संस्थान में शिक्षारत छात्रों के अतिरिक्त अन्य किसी भी अन्य व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबन्धित किया जाय।

(10) संस्था में अध्ययनरत वरिष्ठ छात्रों को भी रैगिंग रोकने हेतु सम्मिलित किया जाय तथा उनका दायित्व निर्धारित किया जाये।

(11) प्रत्येक शिक्षण संस्थान में अध्यापक संरक्षक/अभिभावक की समुचित संख्या पर सहायता समूह (एडवाइजरी ग्रुप) बनाये जाने, जिससे अध्यापक छात्रों के सम्पर्क में रहकर उनकी समस्याओं का निराकरण अविलम्ब कर सकें।

(12) सभी संस्थानों में शिकायत पेटिकायें रखी जायं, जिससे छात्र बिना किसी पहचान के अपनी शिकायत पेटिका में डाल सके। संस्था के प्राचार्य/निदेशक स्वयं इन पेटिकाओं में प्राप्त शिकायतों आदि की जांच/निराकरण करायें।

(13) प्रत्येक शिक्षण संस्थान में छात्रावास में प्रवेश के समय छात्रों के माता-पिता, एवं स्थानीय अभिभावक के बारे में विस्तृत विवरण सभी की फोटो सहित तीन प्रतियों में अवश्य प्राप्त किया जाय। कार्यालय की प्रति के अतिरिक्त एक प्रति आगन्तुक कक्ष में तथा एक प्रति कुलानुशासक (प्राक्टर) के पास सदैव उपलब्ध होनी चाहिये।

(14) छात्रावासों में समस्त छात्रों विशेषकर प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए छात्रावासों में आने वाले आगन्तुकों के लिए एक निश्चित अवधि निर्धारित की जाय तथा छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को भी उक्त निर्धारित रात्रिकालीन समय के उपरान्त प्रातःकाल तक बिना किसी अनुमति के बाहर न जाने दिया जाय।

(15) विगत कुछ समय से रात्रि के समय रैगिंग की बढ़ती प्रवृत्ति के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि सत्र के प्रारम्भ में कम से कम दो-तीन माह तक 09.00 बजे के बाद किसी प्रथम वर्ष के छात्र के साथ किसी भी वरिष्ठ छात्र का सम्पर्क प्रतिबन्धित कर दिया जाय। रैगिंग निरोधक दस्तों द्वारा विशेष रूप से ऐसे छात्रावासों में, जहाँ प्रथम वर्ष के साथ अन्य वर्षों के छात्र भी रहते हैं, आकस्मिक एवं रात्रिकालीन पुर्निरीक्षण द्वारा उक्त का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

--4/--

(16) सभी छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षिका/अधीक्षक छात्रों की उपस्थित पंजिका बनायें तथा रात्रि में अनिवार्य रूप से विशेषकर प्रथम वर्ष के छात्रों की उपस्थिति/गणना की जाय। उसमें सुनिश्चित करें कि जो छात्र/छात्रा अनुपस्थित हैं, उन छात्रों द्वारा सक्षम अधिकारी से अनुमति ली गयी है या नहीं। छात्रों की अनाधिकृत अनुपस्थिति के बारे में अभिभावकों को उनके दूरभाष/मोबाइल पर तत्काल सूचित किया जाय कि आपका पाल्य छात्रावास में बिना अनुमति के इतने घण्टे अनुपस्थित रहा और यह भी सूचित कर दिया जाय कि इस प्रकार की अवहेलना न करे तथा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति होती है तो छात्रावास से निष्कासित कर दिया जायेगा।

(17) सभी संस्थानों में धूम्रपान तथा नशीले पदार्थ (मद्यपान) सेवन पर रोक लगायी जाय। यह दायित्व संस्थान के निदेशक/प्राचार्य का होगा। यदि कोई छात्र धूम्रपान या मद्यपान करते हुए पकड़ा जायेगा तो उसे दण्डित किया जायेगा।

(18) समस्त शिक्षण संस्थानों में छात्रों द्वारा परिसर के भीतर लाइसेन्सयुक्त अग्नेयास्त्र सहित समस्त प्रकार के हथियार रखा जाना पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित होगा।

(19) यदि किसी छात्रावास में रैगिंग होना पाया जाता है तो उस छात्रावास के संरक्षक (वार्डेन) की गुण-दोष के आधार पर जवाबदेही निर्धारित की जाय। वार्डेन शिकायत पेटियों में तथा अन्यथा प्राप्त समस्त शिकायतों के सामयिक निस्तारण के लिए भी उत्तरदायी होंगे।

(20) प्रत्येक अभियंत्रण संस्थान के प्राचार्य/निदेशक का उत्तरदायित्व होगा कि उक्त संस्थान में सत्र के प्रारम्भ से पूर्व ही अनिवार्य रूप से प्राक्टोरेल बोर्ड का गठन किया जाय तथा इसकी औपचारिक जानकारी बोर्ड के सदस्यों के नाम, पते, दूरभाष नम्बर सहित सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त स्थानीय थाने में भी दे दी जाय।

(21) सत्र के प्रारम्भ में न्यूनतम दो माह तक विशेष रूप से जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के साथ परिसर में संस्था के प्रशासन की रैगिंग विरोधी कार्यवाही में सहयोग सुनिश्चित करेंगे।

(22) प्राक्टर द्वारा प्रशासन/जिला प्रशासन के सहयोग से पुरुष/महिला पुलिस को वर्दी अथवा आवश्यकतानुसार सादे वेश में भी संस्थान एवं छात्रावास परिसर के मुख्यद्वार आदि में भ्रमण करना सुनिश्चित करेंगे।

(23) सभी इंजीनियरिंग कालेजों के प्रशासन द्वारा सत्र प्रारम्भ के दो माह में प्रत्येक पक्ष अपने विभागों के सचिवों का परिसर में रैगिंग की स्थिति एवं कृतकार्यवाही की रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी। यदि इस बीच कोई अप्रिय घटना हुई हो तो उसे भी अवश्य सूचित करेंगे।

(24) सभी संस्थानों में रैगिंग रोकने के लिए जागरुकता अभियान चलाया जाय, जिसमें छात्र, अध्यापक एवं अभिभावक भागीदारी करें तथा नियमों की जानकारी दी जाय।

--5/--

(25) संस्थानों में इस प्रकार की घटनाओं में दोषी पाये जाने वाले छात्रों पर नियमानुसार कठोरतम् कार्यवाही उनके दोष के आधार पर छात्रावास के निष्कासन, संस्थान से निलम्बन, जी0डी0 मार्क में कटौती, मेस से निलम्बन एवं स्कालरशिप बन्द किये जाने आदि की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय। ऐसी कार्यवाही की सूचना तत्काल शासन को प्रेषित कर दी जाय।

(26) इन सभी सहयोगात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही का विवरण अन्य छात्रों के संज्ञानार्थ संस्थान में जगह-जगह जहां से छात्र गुजरते हों, वहां पर चस्पा कर दिया जाय।

3- उपर्युक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि रैगिंग की कोई घटना प्रकाश में आती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्थान के निदेशक /प्राचार्य का होगा। अतएव उक्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप संस्था में रैगिंग पर रोक लगाने हेतु तत्परता एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

(संजय प्रसाद)
सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव-</u>

प्रतिलिपि कुलसचिव, गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं कुलसचिव, महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, नोयडा को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से अविलम्ब सभी अभियंत्रण एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों वाली संस्थाओं के निदेशक/प्राचार्य को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राम गणेश)
विशेष सचिव

डा.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ
सेक्टर–11 जानकी पुरम् विस्तार योजना, लखनऊ–226031

पत्रांक: डा0ए0पी0जे0अ0क0प्रा0वि0 / कुस0का0 / रैगिंग / 2018 / 1158) दिनांक: 13/8/18

सेवा में

1	प्रो0 वन्दना सहगल फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर डा0ए0पी0जे0अ0क0प्रा0वि0, लखनऊ	अध्यक्ष
2	निदेशक, आई0ई0टी0, लखनऊ	सदस्य
3	निदेशक, बी0आई0ई0टी0, झाँसी	सदस्य
4	निदेशक, के0एन0आई0टी0, सुल्तानपुर	सदस्य
5	निदेशक, यू0पी0टी0टी0आई0, कानपुर	सदस्य
6	निदेशक, राजकीय इंजी0 कालेज, कन्नौज	सदस्य
7	निदेशक, राजकीय इंजी0 कालेज, मैनपुरी	सदस्य
8	निदेशक, राजकीय इंजी0 कालेज, बॉदा	सदस्य
9	निदेशक, राजकीय इंजी0 कालेज, अम्बेदकरनगर	सदस्य
10	निदेशक, राजकीय इंजी0 कालेज, बिजनौर	सदस्य
11	निदेशक, राजकीय इंजी0 कालेज, आजमगढ़	सदस्य
12	निदेशक, राजकीय इंजी0 कालेज, सोनभद्र	सदस्य
13	निदेशक, उ0 प्र0 डिजाइन इंस्टीट्यूट, डा0ए0पी0जे0अ0क0प्रा0वि0, नोयडा	सदस्य
14	निदेशक, श्रीराममूर्ति कालेज ऑफ इंजी0 एवं टेक्नोलाजी, बरेली	सदस्य
15	अधिष्ठाता छात्र कल्याण, डा0ए0पी0जे0अ0क0प्रा0वि0, लखनऊ	सदस्य
16	उप कुलसचिव, डा0ए0पी0जे0अ0क0प्रा0वि0, लखनऊ	सदस्य सचिव

विषय: रैगिंग निषेध अनुश्रवण समिति के गठन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बंध में अवगत कराना है कि डा0ए0पी0जे0अ0क0प्रा0वि0, लखनऊ द्वारा रैगिंग निषेध अनुश्रवण समिति का गठन किया जा रहा है। रैगिंग निषेध अनुश्रवण समिति द्वारा प्रदेश के शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की समस्या की रोकथाम हेतु सम्यक उपायों के साथ समीक्षा कार्यवाही सुनिश्चत किये जाने संबंधी मा0 उच्च न्यायालय के आदेश सं0 370/40/XI A दिनांक 12.06.2009 के कम में शासन के पत्र सं0 1835–सोलह–1–250/96 दिनांक 03.09.2009 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। रैगिंग निषेध अनुश्रवण समिति संस्थाओं का आकस्मिक निरीक्षण कर सकेगी। इसमें संस्थाओं के स्तर पर निर्देशित व्यवस्थाओं के गठन एवं अनुपालन की स्थिति की जानकारी के साथ रैगिंग की कोई घटना घटित तो नही है, के लिये अनुश्रवण किया जायेगा। रैगिंग नियंत्रण समिति भी इस सम्बंध में कारगर कदम उठाये और कही भी कोई रैगिंग की कोई शिकायत प्राप्त हो तो तत्काल वहॉ जा कर निरीक्षण किया जाय ताकि रैगिंग की घटनायें बिलकुल न हों। निरीक्षण हेतु विश्वविद्यालय नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

उक्त की सूचना के साथ निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही की जाय–

1. संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले छात्रों मे से शीर्ष 10 रैंक वाले छात्रों जिसमें 05 छात्रायें सम्मिलित हो, को विशेष रूप से संस्थान की रैगिंग रोकने हेतु बनाई गई सतर्कता समिति में सम्मिलित किया जाय।
2. उक्त सतर्कता समिति की बैठकों में छात्रों से प्राप्त फीड बैक को गोपनीय रखा जाय तथा उसे ध्यान में रखते हुये संस्थान में रैगिंग रोकने के सभी प्रभावी उपाय सुनिश्चित कराये जाय।
3. सभी नये छात्रों को एस.एम.एस. की सुविधा प्रदान की जाय तथा छात्रों से प्राप्त किसी भी सूचना पर संस्था स्तर पर त्वरित कार्यवाही की जाय।
4. संस्था के प्रत्येक हास्टल में हास्टल वार्डेन की अध्यक्षता में रैगिंग रोकने हेतु सतर्कता समिति बना दी जाय इसमें छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित की जाय।
5. जिला स्तर पर गठित ऐण्टी रैगिंग अनुश्रवण समिति की बैठकें नियमित रूप से कराते हुये जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की रोकथाम हेतु सभी आवश्यक उपाय ससमय सुनिश्चित कराये जाय। यदि किसी भी संस्था में कोई घटना प्रकाश में आती है तो उसके सम्बंध में त्वरित कार्यवाही करायी जाय।

समिति से अनुरोध है कि कृपया विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त संस्थाओं के अन्तर्गत तदनुसार व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(नन्द लाल सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन सं0 व दिनांक–उपरोक्त

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्राचार्य/निदेशक, डा.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध समस्त संस्थान।
3. वित्त अधिकारी, डा.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. उप कुलसचिव, डा.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. सहायक कुलसचिव, डा.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
6. स्टाफ अफिसर, मा0 कुलपति महोदय, डा.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(नन्द लाल सिंह)
कुलसचिव

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION NEW DELHI

NOTIFICATION

Dated 01-07-2009

Sub:Prevention and prohibition of Ragging in technical Institutions, Universities including Deemed to be Universities imparting technical education.

F.No.37-3/Legal/AICTE/2009 – In exercise of the powers conferred under Section 23 read with Section 10 (b), (g), (p) and (q) of AICTE Act, 1987, the All India Council for Technical Education, hereby makes the following Regulations:-

Short title and commencement

(I) These Regulations may be called the All India Council for Technical Education (Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions, Universities including Deemed to be Universities imparting technical education) Regulations 2009.

(ii) They shall come into force on the date of the notification.

Objectives

In view of the directions of the Hon'ble Supreme Court in SLP No. 24295 of 2006 dated 16-05-2007 and in Civil Appeal number 887 of 2009, dated 08-05-2009 to prohibit, prevent and eliminate the scourge of ragging including any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student, or indulging in rowdy or undisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student or asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student, with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student, in all higher education institutions in the country, and thereby, to provide for the healthy development, physically and psychologically, of all students, the All India Council for Technical Education,(AICTE) brings forth these Regulations.

Definitions

(a) "**Act**" means the All India Council for Technical Education Act 1987 (52 of 1987);

(b) "**Technical Institution**" means an institution of Government, Government Aided and Private (self financing) conducting the courses/programmes in the field of technical education, training and research in Engineering, Technology including MCA, Architecture, Town Planning, Management, Pharmacy, Hotel Management & Catering Technology, Applied Arts & Crafts and such other programmes and areas as notified by the Council from time to time.

(c) '**University**" means a University defined under clause (f) of section 2 of the University Grants Commission Act, 1956 and includes an institution deemed to be a University under section 3 of that Act.

(d) "**Academic year**" means the period from the commencement of admission of students in any course of study in the institution up to the completion of academic requirements for that particular year.

(e) "**Head of the institution**" means the Vice-Chancellor in case of a university or a deemed to be university, the Principal or the Director or such other designation as the executive head of the institution or the college is referred.

(f) "**Fresher**" means a student who has been admitted to an institution and who is undergoing his/her first year of study in such institution.

(g) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act or in the General Clauses Act, 1887, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in the General Clauses Act, 1887, as the case may be. And

(h) All other words and expressions used herein and not defined but defined in the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), shall have the meanings respectively assigned to them in the said Act;

4 What constitutes Ragging: - Ragging constitutes one or more of any of the following acts:

a. Any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student;

b. Indulging in rowdy or undisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship, physical or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student;

c. Asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student;

d. Any act by a senior student that prevents, disrupts or disturbs the regular academic activity of any other student or a fresher;

e. Exploiting the services of a fresher or any other student for completing the academic tasks assigned to an individual or a group of students.

f. Any act of financial extortion or forceful expenditure burden put on a fresher or any other student by students;

g. Any act of physical abuse including all variants of it: sexual abuse, homosexual assaults, stripping, forcing obscene and lewd acts, gestures, causing bodily harm or any other danger to health or person;

h. any act or abuse by spoken words, emails, posts, public insults which would also include deriving perverted pleasure, vicarious or sadistic thrill from actively or passively participating in the discomfiture to fresher or any other student;

i. any act that affects the mental health and self-confidence of a fresher or any other student with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student.

Measures for prevention of ragging

It shall be mandatory for every technical Institution, University, deemed to be University imparting technical education to take following measures for prevention of ragging at such institutions.

1. The advertisement issued for admission by a technical institution, University including Deemed to be University concerned and/or the admission authority/ affiliating University/State Govt./UT/Central Govt. as the case may be, shall clearly mention that ragging is totally banned and anyone found guilty of ragging and/or abetting ragging is liable to be punished.
2. The 'Prospectus' and other admission related documents shall contain directions of the Supreme Court Affiliating University/admission Authority/State Govt/Central Govt. shall make it mandatory for the institutions under their jurisdiction to compulsorily incorporate such information in their 'Prospectus'. These Regulations shall be printed in the brochure of admission/instruction booklet for candidates.
3. The application form for admission/enrolment shall have a printed affidavit, preferably both in English and Hindi and/or in one of the regional languages. The affidavit should be filled up and signed by the candidate to the effect that he/she is aware of the law regarding prohibition of ragging as well as the punishments, and that he/she, if found guilty of the offence of ragging and/or abetting ragging, is liable to be punished appropriately.
4. The application form shall also contain a printed affidavit, preferably both in English and Hindi and/or in one of the regional languages and the affidavit should be signed by the parent/guardian of the applicant to the effect that he/she is also aware of the law in this regard and agrees to abide by the punishment meted out to his/her ward in case the latter is found guilty of ragging and/or abetting ragging.
5. The application for admission shall be accompanied by a document along with the School Leaving Certificate/Character Certificate which shall include a report on the behavioral pattern of the applicant, so that the institution can thereafter keep intense watch upon the student who has a negative entry in this regard.
6. A student seeking admission to the hostel shall have to submit another affidavit along with his/her application for hostel accommodation that he/she is also aware of the law in this regard and agrees to abide by the punishments meted out if he/she is found guilty of ragging and/or abetting ragging.
7. Every technical institution, University including Deemed to be University imparting technical education shall maintain a proper record of the affidavits obtained to ensure its safe up keep thereof,including digital copies of the affidavits and such digital copy should be made available to the AICTE or to an Agency identified/nominated by AICTE.
8. The AICTE or an Agency identified/nominated for the purpose and affiliating Universities and Directorate of Technical Education of the concerned State Govt./UT shall maintain an appropriate data base of the affidavits in the digital form obtained from every student at the time of admission to the technical institutions, Universities including Deemed to be Universities imparting technical education.
9. Each batch of freshers should be divided into small groups and each such group shall be assigned to a member of staff. Such staff member should interact individually with each

member of the group on daily basis to ascertain the problems/difficulties, if any faced by the freshers in the Institution and extend necessary help.

10. Incase of freshers admitted to a Hostel it shall be the responsibility of the teacher incharge of the group to co-ordinate with the warden of the Hostel and to make surprise visits to the rooms in the hostel where the members of the group are lodged. Freshers should be lodged in a separate hostel block wherever possible and where such facilities are not available, the college/institution shall ensure that seniors' access to freshers' accommodation is strictly monitored by wardens, Security Guards and Staff.

11. Every institution should engage or seek the assistance of professional counselors at the time of admissions to counsel 'freshers' in order to prepare them for the life ahead, particularly for adjusting to the life in hostels. At the commencement of the academic session the Head of the technical Institution, University including Deemed to be University imparting technical education shall convene and address a meeting of various functionaries/agencies, like Wardens, representatives of students, parents/guardians, faculty, district administration including police, to discuss the measures to be taken to prevent ragging and steps to be taken to identify the offenders and punish them suitably.

12. Every fresher admitted to the technical Institution, University including Deemed to be University imparting technical education shall be given a printed information booklet detailing when and whom he/she has to turn to for help and guidance for various purposes (including Wardens, Head of the institution, members of the anti–ragging committee, relevant district and police authorities), addresses and telephone numbers of such persons/authorities, etc.

13. The technical institutions, University including Deemed to be University imparting technical education through the information booklet mentioned above shall explain to the new entrants the arrangements for their induction and orientation which promote efficient and effective means of integrating them fully as students.

14. The information booklet mentioned above shall also tell the freshers about their rights as bona fide students and clearly instructing them that they should desist from doing anything against their will even if ordered by the seniors, and that they have nothing to fear as the institution cares for them and shall not tolerate any atrocities against them.

15. The information booklet mentioned above shall contain a calendar of events and activities laid down by the institution to facilitate and complement familiarization of juniors with the academic environment of the institution.

16. To make the community at large and the students in particular aware of the dehumanizing effect of ragging, and the approach of the institution towards those indulging in ragging, big posters (preferably with different colors for the provisions of law, punishments, etc.) shall be prominently displayed on all Notice Boards of all departments, hostels and other buildings as well as at vulnerable places Some of such posters shall be of permanent nature in certain vulnerable places.

17. The technical Institution, University including Deemed to be University imparting technical education shall request the media to give adequate publicity to the law prohibiting ragging and the negative aspects of ragging and the institutions 's resolve to ban ragging and punish those found guilty without fear or favor.

18. The technical Institution, University including Deemed to be University imparting technical education shall identify, properly illuminate and man all vulnerable locations.

19. The technical Institution, University including Deemed to be University imparting technical education shall tighten security in its premises, especially at the vulnerable places. If necessary, intense policing shall be resorted to at such points at odd hours during the early months of the academic session.

20. The technical Institution, University including Deemed to be University imparting technical education shall utilize the vacation period before the start of the new academic year to launch wide publicity campaign against ragging through posters, information booklets, seminars, street plays, etc.

21. The faculties/departments/units of the technical Institution, University including Deemed to be University imparting technical education shall have induction arrangements (including those which anticipate, identify and plan to meet any special needs of any specific section of students) in place well in advance of the beginning of the academic year with a clear sense of the main aims and objectives of the induction process.

22. Mobile Phones and other communication devices may be permitted in residential areas including hostels to provide access to the students particularly freshers, to reach out for help from teachers, parents and Institution authorities.

Monitoring mechanism in technical institution, University including Deemed to be University imparting technical education

a) Anti-ragging Committee: Every institution University including Deemed to be University imparting technical education **shall constitute a Committee to be known as the Anti-ragging Committee to be nominated and headed by the Head of the Institution, and consisting of representatives of civil and police administration, local media, Non Government Organizations involved in youth activities, representatives of faculty members, representatives of parents, representatives of students belonging to the freshers' category as well as senior students, non-teaching staff; and shall have a diverse mix of membership in terms of level as well as gender.**

b) It shall be the duty of the Anti-Ragging Committee to ensure compliance with the provisions of these Regulations as well as the provisions of any law for the time being in force concerning ragging; and also to monitor and oversee the performance of the Anti-Ragging Squad in prevention of ragging in the institution.

c) **Anti-Ragging Squad:** Every institution University including Deemed to be University imparting technical education shall also constitute a smaller body to be known as the Anti-Ragging Squad to be nominated by the Head of the Institution with such representation as may be considered necessary for maintaining vigil, oversight and patrolling functions and shall remain mobile, alert and active at all times. Provided that the Anti-Ragging Squad shall have representation of various members of the campus community and shall have no outside representation.

d) It shall be the duty of the Anti-Ragging Squad to be called upon to make surprise raids on hostels, and other places vulnerable to incidents and having the potential for ragging and shall be empowered to inspect such places.

e) It shall also be the duty of the Anti-Ragging Squad to conduct an on-the-spot enquiry into any incidents of ragging referred to it by the Head of the institution or any member of the faculty or any member of the staff or any student or any parent or guardian or any employee of a service provider or by any other person, as the case may be; and the enquiry report along with recommendations shall be submitted to the Anti-Ragging Committee for action. Provided that the Anti-Ragging Squad shall conduct such enquiry observing a fair and transparent procedure and the principles of natural justice and after giving adequate opportunity to the student or students accused of ragging and other witnesses to place before it the facts, documents and views concerning the incidents of ragging, and considerations such other relevant information as may be required.

f) **Mentoring Cell:** Every institution shall, at the end of each academic year, in order to promote the objectives of these Regulations, constitute a Mentoring Cell consisting of students volunteering to be Mentors for freshers, in the succeeding academic year; and there shall be as many levels or tiers of Mentors as the number of batches in the institution, at the rate of one Mentor for six freshers and one Mentor of a higher level for six Mentors of the lower level.

g) **Monitoring Cell on Ragging:-** The State Govt./UT and the affiliating University shall set up a Monitoring Cell on Ragging to coordinate with the institutions to monitor the activities of the Anti-Ragging Committees, Squads , and Mentoring Cells, regarding compliance with the instructions on conducting orientation programmes, counseling sessions, etc., and regarding the incidents of ragging, the problem faced by wardens and other officials, etc. This Cell shall also review the efforts made by such institutions to publicize anti-ragging measures, cross-verify the receipt of affidavits from candidates/students and their parents/guardians every year, and shall be the prime mover for initiating action by the University authorities to suitably amend the Statutes or Ordinances or Bye-laws to facilitate the implementation of anti ragging measures at the level of the institution.

h) The Monitoring Cell shall coordinate with the the institutions, universities including deemed to be universities imparting technical education to achieve the objectives of these Regulations; and the Monitoring Cell shall call for reports from the Heads of institutions in regard to the activities of the Anti-Ragging Committees, Anti-Ragging Squads, and the Mentoring Cells at the institutions, and it shall also keep itself abreast of the decisions of the Anti-Ragging Committees etc.

i) The Monitoring Cell shall also review the efforts made by institutions to publicize anti-ragging measures, soliciting of affidavits from parents/guardians and from students, each academic year, to abstain from ragging activities or willingness to be penalized for violation; and shall function as the prime mover for initiating action for amending the Statues or Ordinances or Bye-laws to facilitate the implementation of anti-ragging measures at the level of the institution.

Actions to be taken against students for indulging and abetting ragging in technical institutions Universities including Deemed to be University imparting technical education

1. The punishment to be meted out to the persons indulged in ragging has to be exemplary and justifiably harsh to act as a deterrent against recurrence of such incidents.
2. Every single incident of ragging a First Information Report (FIR) must be filed without exception

by the institutional authorities with the local police authorities.

3. The Anti-Ragging Committee of the institution shall take an appropriate decision, with regard to punishment or otherwise, depending on the facts of each incident of ragging and nature and gravity of the incident of ragging.

4. a) Depending upon the nature and gravity of the offence as established the possible punishments for those found guilty of ragging at the institution level shall be any one or any combination of the following:-

   (i) Cancellation of admission

   (ii) Suspension from attending classes

   (iii) Withholding/withdrawing scholarship/fellowship and other benefits

   (iv) Debarring from appearing in any test/examination or other evaluation process

   (v) Withholding results

   (vi) Debarring from representing the institution in any regional, national or international meet, tournament, youth festival, etc.

   (vii) Suspension/expulsion from the hostel

   (viii) Rustication from the institution for period ranging from 1 to 4 semesters

   (ix) Expulsion from the institution and consequent debarring from admission to any other institution.

   (x) Collective punishment: when the persons committing or abetting the crime of ragging are not identified, the institution shall resort to collective punishment as a deterrent to ensure community pressure on the potential raggers.

b) An appeal against the order of punishment by the Anti-Ragging Committee shall lie,

   (i) In case of an order of an institution, affiliated to or constituent part, of the University, to the Vice-Chancellor of the University;

   (ii) In case of an order of a University, to its Chancellor.

   iii. In case of an institution of national importance created by an Act of Parliament, to the Chairman or Chancellor of the institution, as the case may be.

The institutional authorities shall intimate the incidents of ragging occurred in their premises along with actions taken to the Council form time to time.

(Member Secretary)

(Affidavit format for Student)

Before,
The Director,
Pranveer Singh Institute of Technology,
NH-19, Bhauti, Kanpur - 209 305

1. I, ………………………………………………………… S/o/D/o …………………………………………………………………, having been admitted to …………………………………………………………………, have received a copy (which is also available on the website of institution) of judgment and directions of HON'BLE SUPREME COURT OF INDIA regarding Anti Ragging Guidelines in educational institutions (IN THE SUPREME COURT OF INDIA, CIVIL APPELLATE JURISDICTION, CIVIL APPEAL NUMBER 887 OF 2009: UNIVERSITY OF KERALA – APPELLANT VERSUS COUNCIL, PRINCIPALS' COLLEGES, KERALA AND ORS – RESPONDENTS) and also have received a copy of AICTE notification and the UGC Regulations on curbing the menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations") and The Uttar Pradesh Prohibition of Ragging in Educational Institutions Act, 2010 (hereinafter called the "Act") and have carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations and Act.
2. I have, in particular, perused various clauses of AICTE notification, regulations and various sections of the Act and am aware as to what constitutes ragging.
3. I have also, in particular, perused various clauses of the regulations, AICTE notification, and Sections 2(d), 5 and 6 of the Act, and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
4. I hereby, solemnly aver and undertake that :

a) I will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under various

Pa…..1

clauses of AICTE notification, Regulations and section 2 (d) of the act.

b) I will not participate in or abet or propagate through an act of commission or omission that may be constituted as ragging under various clauses of AICTE notification, Regulations and section 2(d) of the Act.

5. I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I will be liable for punishment in accordance with various clauses of AICTE notification, regulations and sections 5 and 6 of the Act, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.

6. I hereby, declare that I have not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging: and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, the admission of my ward is liable to be cancelled.

7. I hereby, undertake that the foregoing paras shall be operational during my studies in the institute.

Declared this ……………..….. day of …..….. month of …………. year.

Deponent

Name :

Address :

Tel. No./Mob. No.

Verification

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at……………..…….on this the …… of ……..month, ………..year.

Deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the ……… of ……., year ……. after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

Pa…..2

(Affidavit format for Father/ Guardian)

Before,

The Director,

Pranveer Singh Institute of Technology,

NH-19, Bhauti, Kanpur - 209 305

1. I, ………………………………………………………. S/o/D/o ……………………………………………………………… and Father/Mother/Guardian of ……………………………………………….., who having been admitted to …………………………………………………………, have received a copy (which is also available on the website of institution) of judgment and directions of HON'BLE SUPREME COURT OF INDIA regarding Anti Ragging Guidelines in educational institutions (IN THE SUPREME COURT OF INDIA, CIVIL APPELLATE JURISDICTION, CIVIL APPEAL NUMBER 887 OF 2009: UNIVERSITY OF KERALA – APPELLANT VERSUS COUNCIL, PRINCIPALS' COLLEGES, KERALA AND ORS – RESPONDENTS) and also have received a copy of AICTE notification and the UGC Regulations on curbing the menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations") and The Uttar Pradesh Prohibition of Ragging in Educational Institutions Act, 2010 (hereinafter called the "Act") and have carefully read and fully understood the provisions contained in the said Notification, Regulations and Act.
2. I have, in particular, perused various clauses of AICTE notification, regulations and various sections of the Act and am aware as to what constitutes ragging.
3. I have also, in particular, perused various clauses of the regulations, AICTE Notifications and Sections 2(d), 5 and 6 of the Act, and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against my ward in case he/she is found guilty of or abetting ragging actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
4. I hereby, solemnly aver and undertake that :

Pa…..1

a) My ward will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under various clauses of AICTE notification, Regulations and Sections 2(d) of the Act.

b) My ward will not participate in or abet or propagate through an act of commission or omission that may be constituted as ragging under various 4 of AICTE notification, the Regulations and section 2(d) of the Act.

5. I hereby affirm that, if found guilty of ragging, my ward is liable for punishment in accordance with various clauses of AICTE notifications, regulations and sections 5 and 6 of the Act, without prejudice to any other criminal action that may be taken against my ward under any penal law or any law for the time being in force.

6. I hereby, declare that my ward has not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging: and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, the admission of my ward is liable to be cancelled.

7. I hereby, undertake that the foregoing paras shall be operational during the studies of my ward in the institute.

Declared this ………………..….. day of …..….. month of …………. year.

Deponent

Name :

Address :

Tel. No./Mob. No.

Verification

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at……………..…….on this the …… of ……..month, ………..year.

Deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the ……… of ……., year ……. after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

Pa…..2

समक्षः **श्रीमान् निदेशक महोदय**

प्रणवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी

एन.एच-19 (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19)

भौंती, कानपुर 209305

<u>रैगिंग के विरूद्ध शपथपत्र</u>

शपथपत्र द्वारा........................वयस्क पुत्र/पुत्री .... .निवासी................ ....
शपथकर्ता/शपथकर्ती

मैं उपरोक्त शपथकर्ता/शपथकर्ती शपथपूर्वक निम्नलिखित अभिकथन करता/करती हूँ :

1 यह कि मुझ उपरोक्त शपथकर्ता कों ....में प्रवेश प्रदान कर दिया गया हैं । मैंने माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा शिक्षण संस्थानों में रैगिंग को रोकने व निषेध करने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों (IN THE SUPREME COURT OF INDIA, CIVIL APPELLATE JURISDICTION, CIVIL APPEAL NUMBER 887 OF 2009 : UNIVERSITY OF KERALA – APPELLANT VERSUS COUNCIL, PRINCIPALS' COLLEGES , KERALA AND ORS – RESPONDENTS) जो कि संस्थान की बेवसाइट पर भी उपलब्ध हैं तथा ए.आई.सी.टी.ई (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) द्वारा जारी अधिसूचना तथा यू.जी.सी. (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) द्वारा उच्च शैक्षणिक संस्थानों में सभी प्रकार की रैगिंग रोकने, निषेध करने सम्बन्धी विनियम 2009 (जो कि आगें विनियम कहा जायेगा) तथा उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिशेध अधिनियम 2010 (जो कि आगें अधिनियम कहा जायेगा) की प्रतियाँ प्राप्त कर ली हैं तथा उन्हें सर्तकतापूर्वक,

सावधानीपूर्वक भली भॉति पढ़ लिया है तथा इन अधिसूचनाओं, विनियमों तथा अधिनियमों के समस्त प्रावधान पूर्णतया भली भॉति समझ लिये हैं ।

2 मैने विशेष रूप से ए.आई.सी.टी.ई (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) अधिसूचना की विभिन्न धाराऍ/ अनुच्छेद, विनियम के अनुच्छेद/धारा तथा अधिनियम के विभिन्न अनुच्छेद व धाराऍ ध्यान से भली भॉति पढ़ लिए हैं एवं मैं रैगिंग की व्यापक परिभाषा से भली भॉति अवगत हूॅ ।

3 इसके साथ ही मैंनें विशेष रूप से ए.आई.सी.टी.ई (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) अधिसूचना की विभिन्न अनुच्छेद /धाराऍ, विनियम की धारायें/अनुच्छेद तथा अधिनियम की धारा/अनुच्छेद 2 (डी.) , 5 तथा 6 भली भॉति ध्यानपूर्वक, सर्तकतापूर्वक व सावधानीपूर्वक पढ़ लिए हैं तथा यदि मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग करने या रैगिंग उकसाने, भड़काने, बढ़ावा देने, सहयोग देने, दुष्प्रेरित करने या रैगिंग के दुष्प्रचार करने, बढ़ावा देने ,सहायता करने के षड़यन्त्र में दोषी पाया जाता / पायी जाती हूॅ तो मेरे विरूद्व जो दण्डात्मक व प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी तथा जिसका मैं भागी /अधीन हूॅंगा/हूॅंगी, उससे मैं भली भॉति पूर्णतया अवगत हूॅ ।

4 मैं एतद्द्वारा, दृढ़तापूर्वक, निश्चयपूर्वक कहते हुए स्वयं को वचनवद्ध करता हूॅ कि :

(अ) मैं अपने किसी आचरण या कृत्य द्वारा ऐसे किसी कार्य में कतई लिप्त नही हूॅगा जो कि ए.आई.सी.टी. ई. (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) की अधिसूचना की धारा /अनुच्छेद, विनियम की धारा /अनुच्छेद तथा अधिनियम की धारा / अनुच्छेद 2 (डी), 5 तथा 6 के अन्तर्गत रैगिंग का गठन करता हो या रैगिंग हो या रैगिंग से किसी भी प्रकार से सम्बंधित हो।

(ब) मैं अपने किसी आचरण क्रिया, कृत्य, कार्य द्वारा या किसी लोप या चूक द्वारा ऐसे कार्य कलापो में कतई भाग नहीं लूॅंगा/लूॅंगीं या रैगिंग अपराध करने में सहयोग, दुष्प्रेरित, अवप्रेरित, सहायता, बढ़ावा कतई नही दूॅंगा/दूॅंगी या ऐसे प्रचार, प्रसार उत्पन्न, बढ़ाने, फैलाने में भाग कतई नही लूॅगा/लूॅगी जो कि ए.आई.सी.टी.ई. (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) अधिसूचना की विभिन्न धारायें/अनुच्छेद, विनियम की धारा/अनुच्छेद तथा अधिनियम की धारा/अनुच्छेद 2 (डी.) के अन्तर्गत रैगिंग का गठन करतें हों या रैगिंग के अन्तर्गत आते हों ।

5 मै एतद्द्वारा वचन/ प्रतिज्ञा करता/करती हूॅं कि यदि मैं रैगिंग करने का दोषी पाया जाता/जाती हूॅं तो मैं ए.आई.सी.टी.ई. (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) अधिसूचना की धाराओं /अनुच्छेदों, विनियमों की धारा/अनुच्छेद तथा अधिनियम की धारा/अनुच्छेद 5 व 6 के अनुसार दण्ड के अधीन हूॅंगा/हूॅंगी तथा मैं बिना किसी पूर्वाग्रह के किसी अन्य आपराधिक प्रक्रिया / कार्यवाही के अधीन भी हूॅंगा/हूॅंगी जो कि दण्ड सम्बन्धी किसी विधि या तत्समय प्रवृत / लागू किसी विधि के अनुसार होगा।

6 मैं एतद्द्वारा यह घोषित करता/करती हूॅ कि मुझे देश में किसी भी संस्थान के द्वारा , रैगिंग करनें का दोषी पाये जाने के कारण या रैगिंग को दुष्प्रेरित, अवप्रेरित, बढ़ावा देने, सहयोग देने, सहायता

करने के कारण या रैगिंग को दुष्प्रेरित, अवप्रेरित, बढ़ावा देने, सहयोग देने, सहायता करने के षडयन्त्र में भाग लेने के कारण न तो निष्कासित किया गया है तथा न ही बहिष्कृत किया गया हैं। साथ ही, मैं यह भी वचन/प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि यदि यह उद्घोषणा / घोषणापत्र असत्य पाया जाता है तो मेरा प्रवेश निरस्त करने के अधीन होगा।

7 मैं एतद्द्वारा वचनबद्ध होता/होती हूँ कि संस्थान मे मेरे अध्ययन काल में, इस शपथपत्र के पूर्ववर्ती पैरा/ अनुच्छेद लागू रहेगें/प्रवृत रहेगें।

...........दिनांक ....मास.................वर्ष.....................में घोषित किया।

.शपथकर्ता/शपथकर्ती

नाम................................

पता................................

टेलीफोन/मोबाइल नं० ....

<u>सत्यापन</u>

सत्यापित किया जाता हैं कि इस शपथपत्र में दिये गये समस्त तथ्य मेरे ज्ञान में सही हैं। इस शपथपत्र का कोई भी भाग असत्य नही हैं तथा उसमें कोई भी तथ्य छुपाया या गलत बयान नही किया गया हैं।

...........दिनांक ....मास.............वर्ष...................को ....में सत्यापित किया गया।

शपथकर्ता/शपथकर्ती

मेरे समक्ष इस शपथपत्र के तथ्यों को पढ़ने के पश्चात ....दिनांक ....मास..........वर्ष...........
....को शपथपूर्वक हस्ताक्षरित एवं अभिकथित किया गया।

नोटरी/ओथ कमिश्नर

समक्ष : श्रीमान् निदेशक महोदय

प्रणवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी

एन.एच-19 (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19)

भौंती, कानपुर 209305

रैगिंग के विरूद्ध शपथपत्र

शपथपत्र द्वारा................. ....पुत्र/पुत्री ....तथा .... के माता/पिता/ अभिभावक/ संरक्षक, निवासी..................................। ....शपथकर्ता/शपथकर्ती

मैं उपरोक्त शपथकर्ता/शपथकर्ती शपथपूर्वक निम्नलिखित अभिकथन करता/करती हूँ :

१. यह कि मुझ उपरोक्त शपथकर्ता/शपथकर्ती के पुत्र/पुत्री को ....में प्रवेश प्रदान कर दिया गया हैं । मैनें माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा शिक्षण संस्थानों में रैगिंग को रोकने व निषेध करने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों (IN THE SUPREME COURT OF INDIA, CIVIL APPELLATE JURISDICTION, CIVIL APPEAL NUMBER 887 OF 2009 : UNIVERSITY OF KERALA – APPELLANT VERSUS COUNCIL, PRINCIPALS' COLLEGES , KERALA AND ORS – RESPONDENTS) जो कि संस्थान की बेवसाइट पर भी उपलब्ध हैं तथा ए.आई.सी.टी.ई (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) द्वारा जारी अधिसूचना तथा यू.जी.सी. (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) द्वारा उच्च शैक्षणिक संस्थानों में सभी प्रकार की रैगिंग रोकने, निषेध करने सम्बन्धी विनियम 2009 (जो कि आगें विनियम कहा जायेगा) तथा उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिशेध अधिनियम 2010 (जो कि आगे अधिनियम कहा जायेगा) की प्रतियाँ प्राप्त कर ली हैं तथा उन्हें सर्तकतापूर्वक, सावधानीपूर्वक भली भाँति पढ़ लिया है तथा इन अधिसूचनाओं ,विनियमों तथा अधिनियमों के समस्त प्रावधान पूर्णतया भली भॉति समझ लिये हैं ।

2 मैने विशेष रूप से ए.आई.सी.टी.ई (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) अधिसूचना की विभिन्न धाराएँ/ अनुच्छेद, विनियम के अनुच्छेद/धारा तथा अधिनियम के विभिन्न अनुच्छेद व धाराएँ ध्यान सें भली भॉति पढ़ लिए हैं एवं मैं रैगिंग की व्यापक परिभाषा से भली भॉति अवगत हूँ।

3 इसके साथ ही मैंनें विशेष रूप से ए.आई.सी.टी.ई. (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) अधिसूचना की विभिन्न अनुच्छेद /धाराएँ, विनियम की धारायें/अनुच्छेद तथा अधिनियम की धारा/अनुच्छेद 2 (डी.), 5 तथा 6 भली भॉति ध्यानपूर्वक, सर्तकतापूर्वक व सावधानीपूर्वक पढ़ लिए हैं तथा यदि मेरी सरंक्षकता में जो छात्र/छात्रा हैं (जिसका उपर उल्लेख किया जा चुका हैं) यदि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग करने या रैगिंग उकसाने, भड़काने, बढ़ावा देने, सहयोग देने, दुष्प्रेरित करने या रैगिंग के दुष्प्रचार करने, बढ़ावा देने, सहायता करने के षडयन्त्र में दोषी पाया जाता / पायी जाती हैं तो उसके विरूद्ध जो दण्डात्मक व प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी तथा जिसका वह भागी / अधीन होगा / होगी, उससे मैं भली भॉति पूर्णतया अवगत हूँ ।

4 मैं एतद्द्वारा, दृढ़तापूर्वक, निश्चयपूर्वक कहते हुए स्वयं को वचनवद्ध करता हूँ कि :

(अ) मेरी संरक्षकता में जो छात्र/छात्रा हैं (जिसका उपर उल्लेख किया जा चुका हैं) वह अपने किसी आचरण या कृत्य द्वारा ऐसे किसी कार्य मे लिप्त कतई नही होगा जो कि ए.आई.सी.टी.ई. (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) अधिसूचना की धारा/अनुच्छेद, विनियम की धारा/अनुच्छेद तथा अधिनियम की धारा /अनुच्छेद 2 (डी) 5 तथा 6 के अन्तर्गत रैगिंग का गठन करता हो या रैगिंग हो या रैगिंग से किसी भी प्रकार से सम्बन्धित हों ।

(ब) मेरी संरक्षकता में जो छात्र/छात्रा है (जिसका उपर उल्लेख किया जा चुका हैं) वह अपने किसी आचरण क्रिया, कृत्य, कार्य द्वारा या किसी लोप या चूक द्वारा ऐसे कार्य या लोप में कतई भाग नहीं लेगा/लेगी या रैगिंग अपराध करने में सहयोग, दुश्प्रेरित, अवप्रेरित, सहायता, बढ़ावा कतई नही देगा / देगी या ऐसे प्रचार, प्रसार, उत्पन्न, बढ़ाने, फैलाने में भाग कतई नहीं लेगा / लेगी जो कि ए.आई.सी.टी.ई. (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) अधिसूचना की विभिन्न धारायें / अनुच्छेद, विनियम की धारा/अनुच्छेद तथा अधिनियम की धारा/अनुच्छेद 2 (डी.) के अन्तर्गत रैगिंग का गठन करतें हों या रैगिंग के अन्तर्गत आते हों ।

5 मै एतद्द्वारा वचन / प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि यदि मेरी संरक्षकता में जो छात्र/छात्रा है (जिसका उपर उल्लेख किया जा चुका हैं) वह रैगिंग करने का दोषी पाया जाता/जाती हैं तो वह ए.आई.सी.टी.ई. (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) अधिसूचना की धाराओं /अनुच्छेदों , विनियमों की धारा/अनुच्छेद तथा अधिनियम की धारा/अनुच्छेद 5 व 6 के अनुसार दण्ड के अधीन होगा/होगी तथा वह बिना किसी पूर्वाग्रह के किसी अन्य आपराधिक प्रकिया /कार्यवाही के अधीन भी होगा/होगी जो कि दण्ड सम्बन्धी किसी विधि या तत्समय प्रवृत / लागू किसी विधि के अनुसार होगा ।

6 मैं एतद्द्वारा यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरी संरक्षकता में जो छात्र/छात्रा हैं (जिसका उपर उल्लेख किया जा चुका हैं) वह देश में किसी भी संस्थान के द्वारा रैगिंग करनें का दोषी पाये जाने के कारण या

रैगिंग को दुष्प्रेरित, अवप्रेरित, बढ़ावा देने, सहयोग देने, सहायता करने के कारण या रैगिंग को दुष्प्रेरित, अवप्रेरित, बढ़ावा देने, सहयोग देने, सहायता करने के षड़यन्त्र में भाग लेने के कारण न तो निष्कासित किया गया / गयी हैं तथा न ही बहिष्कृत किया गया / गयी हैं । साथ ही, मैं यह भी वचन/प्रतिज्ञा करता/करती हूॅ कि यदि यह उद्घोषणा /घोषणापत्र असत्य पाया जाता हैं तो मेरी संरक्षकता में जो छात्र / छात्रा हैं (जिसका उपर उल्लेख किया जा चुका हैं) उसका प्रवेश निरस्त करने के अधीन होगा ।

७. मैं एतद्द्वारा वचनबद्ध होता/होती हूॅ कि मेरी संरक्षकता में जो छात्र/छात्रा हैं (जिसका उपर उल्लेख किया जा चुका हैं) संस्थान मे उसके अध्ययन काल में , इस शपथपत्र के पूर्ववर्ती पैरा/ अनुच्छेद लागू रहेगें/प्रवृत रहेगें ।

...........दिनांक ....मास..................वर्ष......................में घोषित किया ।

शपथकर्ता/शपथकर्ती

फोन/मो. नं०

मेरे समक्ष इस शपथपत्र के तथ्यों को पढ़ने के पश्चात ....दिनांक ....मास...........वर्ष............. ...को शपथपूर्वक हस्ताक्षरित एवं अभिकथित किया गया ।

नोटरी/ओथ कमिश्नर

Ragging is :

- an Uncivilized act
- a Menace
- a Social Evil
and is a
Violation
of
Human Rights

PS: Students are also made aware of National Anti-Ragging portal at: helpline@antiragging.in

They are required to make use of the same and submit a copy of the Registration Form in respective Admin Office, as it is applicable to all Universities under UGC and thereby to its affiliated colleges.

“Ragging is strictly prohibited as per the directions of the Hon'ble Supreme Court of India”.